

आदेश

कृष्ण पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम श्रीरामगंज के खाता सं. 663 खसरा नं. 1549/1 में आवेदन पत्र अनुसार फिरो अहमद^{शेख} के ल्यान पर फिरोज अहमद शेख शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति मिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नही होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प FRC ग्राम पंचायत अगेरा में दिनांक 28/3/25

को मजमेआम में सुनाया गया।



28/3/25
उपखण्ड जल
फागी